राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(35)नविवि/सेक्टर प्लान/2015 जयपुर, दिनांक :– 27 JUL 2018

आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 16.05.2018 के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:–

I. **भवन मानचित्र अनुमोदन**

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 194 के अनुसार बहुमंजिला भवनों (15 मीटर से अधिक ऊंचाई), भवन में बेसमेंट निर्माण प्रस्तावित होने अथवा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर संस्थागत अथवा व्यवसायिक काम्पलैक्स का निर्माण प्रस्तावित होने पर ही नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की राय ली जावेगी। शेष प्रकरणों का निस्तारण संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानानुसार किया जावेगा।

II. **ले–आउट प्लान अनुमोदन**

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.06.2012 के अनुसार ले–आउट प्लान का अनुमोदन गठित ले–आउट प्लान समिति द्वारा किया जावे। ऐसे प्रकरण समिति के अनुमोदन पश्चात नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक नही है। ले–आउट प्लान के तकनीकी परीक्षण की दृष्टि से समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व समिति के नगर नियोजक सदस्य को योजना मानचित्र बैठक की निर्धारित तिथि से 10 दिवस पूर्व प्रेषित किये जावें। .

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

27/7/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग,
राजस्थान, जयपुर

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश प्रदान करने हेतु।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

27/7/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम